नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

1. देश के उन नगरों में जहाँ केंद्रीय सरकार के 10 या इससे अधिक कार्यालय हो, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है।

2. समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार के सचिव (राजभाषा) की अनुमति से किया जाता है।

3. समिति की अध्यक्षता उस नगर में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/ उपक्रमों/ बैंकों आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक के द्‍वारा की जाती है।

4. नगर में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय / उपक्रम / बैंक आदि अनिवार्य रूप से इस समिति के सदस्य होते हैं। उनके वरिष्ठतम अधिकारियों (प्रशासनिक प्रधानों) को नियमित रूप से समिति की बैठकों में भाग लेना चाहिए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं।

5. समिति के गठन का मुख्य उद्‍देश्य केंद्रीय सरकार के कार्यालयों / उपक्रमों / बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढावा देना और इसके मार्ग में आई कठिनाईयों को दूर करना है।

****